राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–499/2006

अली मोहम्मद **–अपीलार्थी**

बनाम

मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर जोन, हनुमानगढ एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति स्टोरकीपर के पद पर दिनांक 22.09.1987 को हुई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी, जो नियुक्ति वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में दी गई थी। आदेश दिनांक 17.05.2004 के द्वारा अपीलार्थी को 9 वर्षीय सेवापूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ अर्द्धस्थाई करने की दिनांक 23.09.1989 से मानते हुए दिया गया, चूंकि अपीलार्थी की अनुकम्पात्मक नियुक्ति थी। इसलिए अपीलार्थी की सेवाएं प्रथम नियुक्ति की दिनांक 22.09.1987 से गणना करके दी जानी चाहिए थी।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति स्टोरकीपर के रूप में दिनांक 22.09.1987 को हुई थी और उसे दिनांक 23.09.1989 से अर्द्धस्थाई घोषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुरूप नियम विरूद्ध रूप से चयतिन वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि चयनित वेतनमान का आदेश दिनांक 25.01.1992 कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी, जो अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकम्पा के रूप में हुई थी। अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित गोविन्द सिंह बनाम राजस्थान राज्य

एवं अन्य, 2003 डब्ल्यूएससी राजस्थान यूसी पेज 677 प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के तहत नियुक्त होने वाले कार्मिकों को टाईपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी नियुक्ति की तिथि को प्रथम नियुक्ति की तिथि माना जाये एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाये।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की टाईपिंग की परीक्षा नहीं ली जानी थी। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा अपीलार्थी वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में सेवा में आये थे। इस आधार पर भी उपरोक्त न्यायिक प्रकरण इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी पहले वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। उसे बाद में अद्धस्थाई घोषित किया गया था और अपीलार्थी ने स्वयं को अर्द्धस्थाई घोषित किये जाने के आदेश को चुनौती नहीं दी थी। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति ही दिनांक 22.09.1987 को हुई हो। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.03.1998 के अनुसार उसे अर्द्धस्थाई घोषित किये जाने की दिनांक से ही देय है और इसी प्रकार अपीलार्थी को लाभ देय है।
5. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)